न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/09/2022	2022/21	04.02.2022	25.07.2022

1. कजोडी पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर,
2. मुखराम पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर,
3. हरदयाल पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर,
4. छोटेलाल पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर,
5. रामवीर पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर, निवासियान बाढबिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.09.2018 तहसीलदार मालाखेडा प्रकरण संख्या 21/2018

उपस्थितः—

01. श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपीलाण्ट्स

02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 24.09.2018 प्रकरण संख्या 21/2018 जिसके द्वारा संवत 2075 में ग्राम बाढबिलन्दी की आराजी खसरा न0 231 रकबा 0.46 है0 किस्म बारानी 2 में से अतिक्रमित रकबा 0.46 है0 पर पक्की चारदीवारी कर चरी, ज्वार बोने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2018 अपीलान्ट की एकतरफा में पारित किया गया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 29.10.2018 को हुई जबकि पटवारी हल्का बाढबिलन्दी आराजी खसरा न0 231 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम बाढबिलन्दी की शास्ति बतौर 138 रूपये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

की मांग की और खसरा न0 231 से बेदखल कर कब्जेराज लेने को बताया। उसी रोज अपीलान्ट ने न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय की नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसपर अपीलान्ट को दिनांक 06.11.2018 को नकल प्राप्त हुई, दिनांक 07.11.2018 से 19.11.2018 तक का समय अपीलान्ट को वकीलों से कानूनी राय लेने व अपील के खर्चे की व्यवस्था करने में व्यतीत हुआ। 24.09.2018 से 29.10.2018 का समय निर्णय की जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ, को माफ करने के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश है। अपील को सर्वप्रथम जानकारी के अन्दर मियाद शुमार किया जावे। आराजी खसरा न0 231 वाके ग्राम बाढबिलन्दी पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा बल्कि भौली बेवा मनोहरीलाल हाल मोतीलाल का कब्जा रहा है, और है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का बाढबिलन्दी को है। फिर भी पटवारी हल्का ने हम अपीलान्ट के खिलाफ यह कार्यवाही झूठी व गलत अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की नियत से की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः मिन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 24.09.2018 को निरस्त फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बाढबिलन्दी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो सभी अतिक्रमियों को तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 24.09.2018 को उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट अतिक्रमियों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही में अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.10.2018 के द्वारा बेदखली मौका पर्चा के द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल किया जाने की प्रति संलग्न है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेडा से ली गई। तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक 829 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा अवगत कराया गया की आराजी खसरा न0 231 रकबा 0.46 है0 में मौके पर चारों तरफ पक्की दीवार बनी हुई है व मौके पर कजोडी, हरदयाल, मुखराम, छोटेलाल, रामवीर पुत्रान मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी बाढबिलन्दी का कब्जा है तथा उक्त आराजी पर वर्तमान में गेहूं की फसल काश्त है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 231 रकबा 0.46 है0 किस्म बारानी 2 में से अतिक्रमित रकबा 0.46 है0 पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बेदखली रिपोर्ट से पक्की चारदीवारी कर चरी, ज्वार बोने पर अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक 829 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 231 रकबा 0.46 पर पक्की चारदीवारी कर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध पाया गया है।

25.7.2022

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

पत्रावली पर आए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 24.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 24.09.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)